

४ 1747-I/17 छत्तीसगढ़

(20 रु.)

समक्ष में माननीय राजस्व मण्डल, बालियर मोदी

बोस रुपये

पुनरीक्षण क्रमांक

(10 रु.)

फिराई लाल तनय भारोसे दुध

दस रुपये

निवासी - छत्तीसगढ़ तहसील व निवासी - छत्तीसगढ़ म.प.

19-6-17

निगरानीकर्ता / आवेदक

19-6-17 बनाम

मध्य प्रदेश शासन

/ आवेदक पुनरीक्षण विस्तृत आदेश दिनांक 19/5/17 तो 19/05/17

छत्तीसगढ़ छारा ममाला क्रमांक 52/अक्र31/2016-2017 को पारित किया।

श्रीमान् ,

19-6-17


पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित निवेदन सादर प्रस्तुत करना  
है:-

1-यह कि पुनरीक्षणकर्ता का संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि  
आवेदक को संघम अधिकारी नायव तहसीलदार छत्तीसगढ़ छारा दिनांक  
20/11/1976 को नामांतरण पंजीयनांक 22 वर्ष 1975-76 के छारा  
भूमि रेसरा नं. 841 के अंश भाग वा ऐसे उक्तदार से भूमि स्वामी  
किए जाने का आदेश पारित किया था लेकिन याम पटवारी छारा  
अपने कर्तव्यों का निवाहन न कर उक्त आदेश दिनांक 20/11/1976  
का अमल राजस्व अंगेलेखों में नहीं किया वर्णिक मनमाने रूप से  
शासन म.प. भूमि पर वर्गे किसी समझ अधिकारी के आदेश के लिए

2-यह कि प्रश्नगत भूमि वा स्वामी द्वारा वा कर्तव्य आवेदक छारा  
अपनी भूमि पर पठले कर्तव्य अद्यता वर्गे किसी समझ अधिकारी के आदेश के लिए

17

विवरण दिलाया गया,



21-9-18

(15)

R-17-U7-I/17 ४१२५८

2

किंवद्दनी लाल / हाई

अवेदन आम. श्री सुनील राज  
परिवार द्वा०) Rais की मांग है।

CF - 10 - 10 - 18

अधिकृत  
पर

10/10/2018 (1) प्रकरण प्रस्तुति अवेदन आम. श्री  
सुनील आदित्य एवं शास्त्रीय आर्ट्स  
श्री अवधि चतुर्वेदी उपस्थित।

(2) अवेदन आवेदनका अपने निवास  
आवेदन को चलाना नहीं चाहते हैं,  
उनके हार NCL Press & Application  
का अनुरोध किया है।

(3) शास्त्रीय आर्ट्स को उनके अनुरोध-  
पर अपरिच नहीं है।

(4) दिनांक 07/09/2017 वी आवेदन  
प्रजिका अनुसार अक्षर अवेदन का  
कानून, २०१८ द्वारा जाकरु अधिनियम-  
चयन २०१८ का अमिलिख साझा हाजा  
थी, जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं  
हुई के कारण नभी में संलग्न नहीं है।

(5) अवेदन आमि० के अनुरोध को समीक्षा  
किया जाकर प्रकरण कर्त्ता द्वारा पर  
समीक्षा किया जाएगा।

(6) अधिनियम चालाना का अमिलेरव  
नहीं मिलने हेतु नि लिखा जाएगा

लिखा  
१०.१०.१८